दैनिक भास्कर

पटना, रविवार, 05 अगस्त, 2018 | 5

रेरा ने 34 बिल्डरों को दिया नोटिस

पटना|रेरा (रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) ने राज्य के विभिन्न जिलों में बिना रजिस्ट्रेशन के काम करे रहे 34 बिल्डरों और प्रमोटरों को नोटिस जारी किया है। रेरा ने इन प्रमोटरों के 88 प्रोजेक्ट पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण पूछा है। इन सभी बिल्डरों और प्रमोटरों को रेरा की धारा तीन के तहत नोटिस दिया गया है, जिसके तहत बिल्डर और प्रमोटर को 500 वर्गमीटर या आठ फ्लैट से ज्यादा के निर्माण के पहले रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। रेरा के सदस्य राजीव भूषण सिन्हा ने बताया कि अभी तक सवा दो सौ ज्यादा प्रोजेक्ट को नोटिस जारी किया है। जिन परियोजनाओं को नोटिस दिया गया है, उसके पटना के अलावा अन्य जिलों में चल रहे प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई में जिन परियोजनाओं को नोटिस दिया गया है, उसमें गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सासाराम, भागलपुर, आरा, वैशाली, राजगीर में चल रही योजनाएं शामिल हैं।